मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के लिए पात्रता परीक्षा–2011

आनलाइन आवेदन– पत्र भरने की प्रारंभ तिथि– 27.09.2011 आनलाइन आवेदन– पत्र भरने की अंतिम तिथि– 27.10.2011

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा–2011 आयोजित की जा रही है, जिसका परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

1. परीक्षा दिनांक : 18 दिसंबर, **2011 (रविवार)** समय **प्रातः 10.00 बजे से 12.45** तक।
2. **परीक्षा केन्द्र** : पात्रता परीक्षा 50 जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। आवश्यकता होने पर उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर जिला मुख्यालयों से भिन्न स्थानों पर भी परीक्षा केन्द्र निर्धारित किए जा सकेंगे जिसकी जानकारी पात्रता परीक्षा के प्रवेश पत्र पर अंकित की जाएगी।
3. **पदों का नाम : संविदा शाला शिक्षक श्रेणी– 3**
4. **पदों की संख्या : लगभग 58000 (पदो की संख्या में कमी या वृद्वि हो सकती है)**
5. **पदों का मासिक संविदा पारिश्रमिक : रु. 5000/–**
6. **निर्धारित शैक्षणिक योग्यता :**

   (1) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–3 के लिए शैक्षणिक एवं शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता निम्नलिखित अनुसार होगी :–

   "कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा)"

   या

   "कम से कम 45 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानक ओर प्रकिया) विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा)"

   या

   "कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र (बी.एल.एड.) में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि"

   या

   "कम से कम 50 प्रतिशत अंको के साथ हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय पत्रोपाधि (डिप्लोमा)"

   (2) उपरोक्त क्रमांक (1) अनुसार पर्याप्त संख्या में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के खण्ड 23 (2) अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करने के उपरांत राज्य सरकार के निर्देश पर स्थानीय निकाय अप्रशिक्षत व्यक्तियों को संविदा शाला शिक्षक के पद पर नियुक्त करेगी।

7. **पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हकारी प्राप्तांक :**

   (1) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी– 1 पात्रता परीक्षा–2011 में अर्ह होने के लिये न्यूनतम अंकों का प्रतिशत श्रेणीवार एवं प्रवर्गवार निम्नलिखित अनुसार होगा :–

अ0जा0 / अ0ज0जा0 / पिछडा वर्ग. / निःशक्तजन	अन्य
50%	60%

पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अर्ह अंक प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता प्रमाण–पत्र दिया जाएगा जिसमें पात्रता परीक्षा प्रश्नपत्र के प्रत्येक भाग के प्राप्तांकों का दशमलव के दो अंकों तक उल्लेख किया जाएगा।

(2) पात्रता परीक्षा के परिणाम की संवर्गवार, विषयवार एवं आरक्षणवार मेरिट सूची तैयार की जायेगी, जिसमें शिक्षण प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यार्थियों की सूची मेरिट के क्रम में ऊपर दर्शित होगी, इसके ठीक नीचे मेरिट के क्रम में उन अभ्यार्थियों की सूची होगी, जिनके द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता धारित नहीं की है।

(3) प्रवर्गवार योग्यता सूची में अंक बराबर होने की दशा में मेरिट सूची में प्राथमिकता अधिक आयु वाले अभ्यार्थी को दी जायेगी।

8. **निर्धारित आयु सीमा :**

(1) अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एंव अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये। उच्चतर आयु सीमा में छूट संबंधी विवरण नियम पुस्तिका में उपलब्ध है।

(2) न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं पात्रता परीक्षा परिणाम की घोषणा के उपरान्त रिक्त पदों के विज्ञापित होने के कैलेण्डर वर्ष के 1 जनवरी के संदर्भ में की जाएगी।

9. **आवेदन पत्रों की उपलब्धता–**

परीक्षा का आवेदन केवल ऑन लाईन **www.vyapam.nic.in** या **www.mponline.gov.in** **वेबसाइट के माध्यम से दिनांक** 27.09.2011 से 27.10.2011 तक भरा जा सकता है । सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग हेतु परीक्षा शुल्क रू. 300/– तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिये परीक्षा शुल्क रूपये 150/– का भुगतान डेबिट (कोई भी वीजा/मास्टर काड/मास्टरियो कार्ड)/केडिट (कोई भी वीजा/मास्टर कार्ड) या इन्टरनेट बैकिंग के माध्यम से अथवा एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाइट पर उपलब्ध अधिकृत क्योस्क धारक के माध्यम से नगद किया जा सकता है । अभ्यर्थी द्वारा अधिकृत ''क्योस्क'' को रूपये 50/– एम.पी. आनलाईन ''क्योस्क''शुल्क अलग से अतिरिक्त देय होगा।

नोट–

(i) ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित विभाग/निकाय के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।

(ii) उच्चतर आयु सीमा में छूट, आवेदन–पत्र निरस्त होने के कारणों की सूचना, त्रुटि सुधार संबंधी जानकारी, परीक्षा की योजना सहित परीक्षा से संबंधित अन्य पूर्ण विवरण मंडल की वेबसाईट **www.vyapam.nic.in** पर उपलब्ध है।

(iii) परीक्षा तिथि से पूर्व परीक्षा प्रवेश पत्र **(T.A.C.)** मंडल की वेबसाइट **www.vyapam.nic.in** पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं, मंडल द्वारा **(T.A.C.)** डाक से प्रेषित नहीं किये जाएंगे ।

विज्ञापन क. 62/2011

संचालक
म0प्र0 व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,
भोपाल